मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

भोपाल, दिनांक / /2020

क्रमांक एफ 16-21/2020/पी-2/31,

प्रति,

1. **श्री जी.पी.सिलावट,**
   तत्कालीन कार्यपालन यंत्री,
   जल संसाधन संभाग क्रमांक-1,
   सिवनी ।
2. **श्री मोहन.सिंह.बघेल,**
   तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी,
   जल संसाधन उप संभाग, लखनादोन,
   जिला-सिवनी ।
3. **श्री एम.के.अमरोदिया,**
   उपयंत्री,
   जल संसाधन उप संभाग, लखनादोन,
   जिला-सिवनी ।

व्दारा- **प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।**

विषयः-संयुक्त विभागीय जांच विरूध्द श्री जी.पी.सिलावट, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एवं 02 अन्य (झलोन जलाशय के निर्माण कार्य में डूब क्षेत्र में प्रभावित अतिरिक्त 52.91 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान प्रथम पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में नहीं करना)

एतद्व्दारा आपको सूचित किया जाता है कि राज्य शासन व्दारा आपके विरूध्द म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 18 एवं सहपठित नियम, 14 के अंतर्गत विभागीय जांच करने का निर्णय लिया गया है । जिन अपचारों एवं कदाचारों के आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तावित है उनका विवरण आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्रक में दिया गया है तथा जिन दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर यह आरोप आधारित है, उनका उल्लेख संलग्न अभिलेख सूची एवं गवाहों की सूची में दिया गया है ।

2/- म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 18 एवं सहपठित नियम, 14 के अंतर्गत एतद्व्दारा यह आरोप पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलेखों की सूची एवं गवाहों की सूची सहित आपको भेजते हुये आपसे अपेक्षा है कि अधिरोपित आरोपों के विरूध्द जो भी अभ्यावेदन या बचाव कथन देना चाहें उसे (तीन प्रतियों में) इस पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर शासन को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ।

यह भी सूचित करें कि :-

(अ) क्या आप स्वयं उपस्थित हो कर कुछ निवेदन करना चाहतें हैं ।

(ब) क्या आप मौखिक जांच कराना चाहतें हैं ।

(स) क्या आप अपनी ओर से साक्ष्य एवं अभिलेख आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं । यदि हा तो उसका विवरण (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करें ।

3/- आपकी ओर से प्रतिवाद या लिखित अभिकथन समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर, यह मानकर कि आपको अपने बचाव के लिये कुछ नहीं कहना है, एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

4/- कृपया इस पत्र की पावती भेजे ।

संलग्न- 1. आरोप पत्र 2. अभिकथन पत्र
4. अभिलेखों की सूची 4. गवाहों की सूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रमोद कुमार खरे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग

.....2

पृ. क्रमांक एफ 16-21/2020/पी-2/31, भोपाल, दिनांक 24/09/2020

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
2. बेव मैनेजर (कार्यपालन यंत्री) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल । कृपया आज ही विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।

अवर सचिव 24/9/20
मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आरोप पत्र विरूद्ध श्री ठा. मोहनसिंह बघेल, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन, जिला–सिवनी (म.प्र.)

जब आप दिनांक 28.02.2013 से 20.07.2017 तक अनुविभागीय अधिकारी के पद पर जल संसाधन उपसंभाग, लखनादौन जिला सिवनी में कार्यरत थे, उक्त अवधि में आपके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए आपके विरूद्ध निम्नानुसार आरोप अधिरोपित किये जाते है:–

आरोप :–

जब आप कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, के अंतर्गत जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी में अनुविभागीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उक्त अवधि में हालौन जलाशय का निर्माण कार्य आपके पर्यवेक्षण में संपादित किया जा रहा था ।

योजना की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण का आपके द्वारा दिनांक 06.08.2015 को संभागीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत प्रकरण में शीर्ष कार्य B-Land में आपके द्वारा 286.10 हेक्टेयर निजी भूमि का प्रावधान किया गया जो वर्तमान में पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में किये गये निजी भूमि के प्रावधान 339.01 हे. से 52.91 हेक्टेयर कम है। अतः आपके द्वारा 52.91 हेक्टेयर निजी दर्ज भूमि अधिग्रहण का प्रावधान नहीं किया गया, जिससे रू. 669.95 लाख की अतिरिक्त वृद्धि योजना के इस मद में हो रही है। नाला क्लोजर करने के पूर्व किये गये सर्वे अनुसार 339.01 हेक्टेयर निजी भूमि डूब में प्रभावित हुई है।

प्रथम पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्तुत करते समय आपके द्वारा डूब क्षेत्र का आमंकलन सही नहीं किये जाने के कारण रू. 669.95 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार आपके द्वारा डूब क्षेत्र का त्रुटिपूर्ण आंकलन किया जाकर पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार करने में गंभीर लापरवाही बरती गई तथा कर्तव्यों का निर्वहन नही किया गया। आरोपों से संबंधित विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में उल्लेखित है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983 के परिशिष्ट 1.26 के विपरीत होकर म.प्र.सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम–3 का उल्लंघन है। इस प्रकार आपने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम–14 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रमोद कुमार खरे) 24/9/22
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अभिकथन पत्रक विरूद्ध श्री ठा. मोहनसिंह बघेल, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी,जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन,जिला–सिवनी (म.प्र.)

जब आप दिनांक 28.02.2013 से 20.07.2017 तक अनुविभागीय अधिकारी के पद पर जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी में कार्यरत रहे। उक्त अवधि में आपके विरूद्ध अधिरोपित आरोप का अभिकथन निम्नानुसार है:–

अभिकथन :–

आप कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, के अंतर्गत जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी में अनुविभागीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उक्त अवधि में हालौन जलाशय का निर्माण कार्य आपके पर्यवेक्षण में संपादित किया जा रहा था ।

मूल प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव में शीर्ष कार्य (बी–लैण्ड) भूअर्जन अन्तर्गत निजी भूमि 329.94 हेक्टेयर तथा शासकीय भूमि 2 हेक्टेयर का प्रावधान था। निर्माण कार्य के दौरान भूअर्जन की दरो में वृद्धि होने से आपके द्वारा प्रथम पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण तैयार किया गया जिसमें आपके द्वारा निजी भूमि हेतु 286.10 हेक्टेयर का प्रावधान किया गया।

योजना की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रकरण आपके पत्र क्र. क्यू–1 / अअ / केम्प सिवनी लखनादौन दिनांक 06.08.2015 द्वारा संभागीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत प्रकरण में शीर्ष कार्य B-Land में आपके द्वारा 286.10 हेक्टेयर निजी भूमि का प्रावधान किया गया जो वर्तमान में पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में किये गये निजी भूमि के प्रावधान 339.01 हे. से 52.91 हेक्टेयर कम है। अतः आपके द्वारा 52.91 हेक्टेयर निजी भूमि का प्रावधान नहीं किया गया, जिससे रू. 669.95 लाख की अतिरिक्त वृद्धि योजना के इस मद में हो रही है। नाला क्लोजर करने के पूर्व किये गये सर्वे अनुसार 339.01 हेक्टेयर निजी भूमि डूब में प्रभावित हुई है।

प्रथम पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्तुत करते समय आपके द्वारा डूब क्षेत्र का आंकलन सही नहीं किये जाने के कारण रू. 669.95 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार आपके द्वारा डूब क्षेत्र का त्रुटिपूर्ण आंकलन किया जाकर पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार करने में गंभीर लापरवाही बरती गई तथा कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं किया गया।

आपके द्वारा योजना के पुनरीक्षित डी.पी.आर. में भूअर्जन की मात्रा का गलत आंकलन किया गया जिससे निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब तथा वर्तमान स्थिति में भू–अर्जन की मात्रा में वृद्धि होने से लागत में भी वृद्धि हुई । प्रथम पुनरीक्षित डी.पी.आर. बनाने में आपके द्वारा पदीय कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुये गंभीर लापरवाही / उदासीनता बरती गई। अनुविभागीय अधिकारी होने के नाते आपका दायित्व था कि योजना के डूब क्षेत्र का सही आंकलन करते हुये प्रथम पुनरीक्षित डी. पी.आर. तैयार किया जाता, जो आपके द्वारा नही किया गया।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983 के परिशिष्ट 1.26 के विपरीत होकर म.प्र.सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम–3 का उल्लधंन है। इस प्रकार आपने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम–14 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रमोद कुमार खरे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

24/9/20

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

–: अभिलेखों की सूची :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन के पत्र क्र. क्यू–1 / अअ / केम्प सिवनी लखनादौन दिनांक 06.08.2015 को प्रस्तुत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राक्कलन एवं डी.पी.आर. प्रस्तुतीकरण पत्र तथा रिपोर्ट / एब्स्ट्रेक की छायाप्रति।

(2) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–1 सिवनी के ज्ञाप क्र. 2508 / कार्य / 2015–16 दिनांक 07.08.2015 के द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित प्रशासकीयस्वीकृति हेतु प्राक्कलन एवं डी.पी.आर. प्रस्तुतीकरण पत्र तथा रिपोर्ट / एब्स्ट्रेक की छायाप्रति।

(3) मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग सिवनी के आदेश कमांक 1953 / एच / डब्ल्यू / टी.एस. / 15 सिवनी दिनांक 21.10.2015 द्वारा रू. 6815.69 लाख की जारी पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति आदेश।

(4) **मध्यप्रदेश शासन,** जल संसाधन विभाग (मंत्रालय) भोपाल के आदेश कमांक–22 / 06 / 2015–16 / ल.सि. / 31 / 62 / भोपाल दिनांक 13.01.2016 द्वारा रू. 6815.68 लाख की जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आदेश।

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक–1 सिवनी के पत्र कमांक–3746 / कार्य / 2019 सिवनी दिनांक14.08.2019 को प्रस्तुत पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राक्कलन एवं डी.पी.आर. प्रस्तुतीकरण पत्र तथा रिपोर्ट / एब्स्ट्रेक की छायाप्रति।

(6) मुख्य अभियंता,बैनगंगा कछार,जल संसाधन विभाग,सिवनी के पत्र कमांक–1953 / सी / कार्य–19 / हालौन जलाशय / सिवनी दिनांक 26.08.2019 द्वारा रू. 9250.04 लाख की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय हेतु प्राक्कलन प्रमुख अभियंता,जल संसाधन विभाग,भोपाल को प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

(प्रमोद कुमार खरे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

–: गवाहो की सूची :–

(1) श्री डी.आर.चौधरी, तत्कालीन संलग्न अधिकारी, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी।

(2) श्री विनोद कुमार उइके, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन।

(3) श्री डी.एस.ठाकुर, उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन।

(प्रमोद कुमार खरे) 24/9/20
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग